न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मैन्यूअल प्रकरण संख्या	68/2014
G.C.M.S प्रकरण संख्या	2014/01651
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	22.03.2014
निर्णय दिनांक	22.02.2021

उनवान

(1) श्री मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ ब्राह्मण नि.आमेसर तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थी /प्रार्थीगण

बनाम

(1) श्री गोपाल पुत्र धन्ना ब्राह्मण नि.आमेसर वगैरह तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– अप्रार्थी /अप्रार्थीगण

उपस्थित वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण	श्री विवेक कुमार बम्ब
उपस्थित वकील अप्रार्थी / अप्रार्थीगण	श्री मुनीरगनी शेख

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

आदेश

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगणों की कब्जे काश्त भूमि में आने-जाने बाबत् रास्ता रेकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करावें। कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
आमेसर	2067-70	472	2296	0.06
			2297	0.29
			2298	0.12
			2299	0.15
			2522	0.04

(2) प्रार्थी / प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात में आने-जाने हेतु अप्रार्थी / अप्रार्थीगणों की निम्न भूमि में से रास्ता चाहते है –

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	भौगोलिक स्थिति
आमेसर	2334	0.16	[illegible] मे[illegible] सहारे-सहारे
	2330	0.2[illegible]	दक्षिणी [illegible] सहारे-सहारे
	2308	0.16	[illegible] के सहारे-सहारे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:21:27 IST
Reason: SelfAttested

(3) प्रार्थी/प्रार्थीगणों की आराजियात में आने-जाने का उक्त एक मात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है।

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

(4) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी / अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। तहसीलदार आसीन्द की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.09.2020 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

(5) वकील प्रार्थी /प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थी/प्रार्थीगण का कथन था कि प्रार्थी/प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने- जाने हेतु रास्ता नियमानुसार प्रतिकर के आधार पर दर्ज रेकार्ड करने का आदेश प्रदान किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी/प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है यही निकटतम रास्ता है। तहसीलदार आसीन्द द्वारा प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें। वकील अप्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण बिना चार्ज के रास्ता देने के सहमत है।

(6) तहसीलदार आसीन्द ने अपनी मौका रिपोर्ट मे अंकित किया है कि वक्त तैयारी मौका पर्चा उपस्थित वादी एंव मौतवीरान ने कथन किया कि आवेदित रास्ते का उपयोग वादी द्वारा नहीं किया जा रहा है .

(7) बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। रिपोर्ट तहसीलदार आसीन्द / पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी /प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता तहसीलदार आसीन्द की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में उपयोग में नहीं लिया जा रहा है तथा अन्य लघुत्तम रास्ते का उपयोग पड़ौसियान की सहमति से किया जा रहा है। तदनुसार प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य होने से यह आदेश सुनाया जाता है कि –

क्रियात्मक – आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण आवेदित रास्ते का वर्तमान में उपयोग नहीं होने तथा अन्य लघुत्तम रास्ते का उपयोग पड़ौसियान की सहमति से किये जाने से अस्वीकार किया जाता है। **पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को खुली अदालत में सुनाया गया।**

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द, जिला-भीलवाड़ा
(सी.एल.शर्मा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:21:27 IST
Reason: SelfAttested